42

B.O.R.

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कम्प सागर

R-2911-III/13

-3 JUN 2013

श्री [illegible] द्वारा प्रस्तुत.
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग,
सागर (म. प्र.)

रामबाई तनय चूरामन चमार
निवासी ग्राम सद्दूपुरा तह. राजनगर
जिला छतरपुर
......निगरानीकर्ता

विरूद्व

म. प्र. शासन
.........अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/2/13 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

33/7-6-13

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बमीठा स्थित भूमि खसरा क्र 195/1/2 रकवा 0.809 हे निगरानीकर्ता को दिनांक 29/12/02 मे पट्टे पर प्राप्त होने के पश्चात् उसे भूमिस्वामी अधिकार प्रदत्त किए गए तथा राजस्व अभिलेख में उक्त वादग्रस्त भूमि के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज की गयी

10-6-13

10-6-12

2. यह कि, निगरानीकर्ता को अपने पति की बीमारी के इलाज हेतु पैसों की आवश्यकता थी जिस कारण उनके द्वारा श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष उक्त भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदाय किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया साथ ही साथ यह भी निवेदन किया गया कि यदि उक्त भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदाय की जाती है तो वह इतने ही रकवे की अन्य भूमि क्रय करने का तत्पर है परन्तु श्रीमान् अपर कलेक्टर द्वारा बिना किसी आधार के मनमाने तौर पर अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

Jain

22.7.13

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2911-तीन/2013 जिला छतरपुर रामबाई विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019 4.1.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 41/अ-21/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 15-02-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-06-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	

सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 4.1.19
सदस्य